



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122021-232230
CG-DL-E-29122021-232230

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5026]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2021/पौष 7, 1943

No. 5026]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2021/PAUSA 7, 1943

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5421(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन ऐसी वस्तुओं या वस्तुओं के वर्ग या उनमें से इतने प्रतिशत को जो आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट है, ऐसी जूट पैकेजिंग सामग्री में उसके आपूर्ति या वितरण किए जाने के प्रयोजन से पैक किए जाने के लिए सशक्त है;

और केंद्र सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जूट सामग्री में पैकेजिंग के मानकों की सिफारिश करने के लिए, का.आ. संख्या 473(अ), तारीख 27 जनवरी, 2019 द्वारा स्थायी सलाहकार समिति का गठन किया है;

और केन्द्रीय सरकार, स्थायी सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् इस बात से संतुष्ट है कि जूट पैकेजिंग सामग्री में पैक किए जाने के लिए वस्तुओं या वस्तुओं के वर्ग या उसके प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना, कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन और इनके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हित में अनिवार्य है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए का.आ. 4250(अ) तारीख 26 नवम्बर, 2020 के द्वारा, को उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, एतद्वारा यह निदेश देती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे न्यूनतम प्रतिशत में आपूर्ति या वितरण के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 2022 (जूट वर्ष 2021-22) तक जूट पैकेजिंग सामग्री में पैक की जाएगी, अर्थात्:-

सारणी

क्रम संख्या	वस्तुएं	भारत में उत्पादित कच्चे जूट से भारत में विनिर्मित जूट पैकेजिंग सामग्री में पैक करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं या वस्तुओं के वर्ग के कुल उत्पादन का न्यूनतम प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
(i)	खाद्यान्न	*उत्पादन का शत प्रतिशत (100 %)
(ii)	चीनी	**उत्पादन का बीस प्रतिशत (20 %)

***टिप्पण 1:-** आरम्भ में खाद्यान्न के लिए मांग पत्र का दस प्रतिशत प्रतिवर्ती नीलामी के माध्यम से सरकारी ई-विपणन पोर्टल (जीईएम) पर रखा जाएगा।

****टिप्पण 2:-** क्रय एजेंसियों द्वारा मिलों या खुले बाजार से सीधे क्रय किए गए विविध प्रकार के जूट थैले।

2. सरकारी ई-विपणन (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए जूट थैलों की खरीद परीक्षण आधार पर शुरू की जाएगी।

3. शुरुआत में, मांग पत्र का दस प्रतिशत राज्य क्रय एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ती नीलामी के माध्यम से सरकारी ई-विपणन (जीईएम) पोर्टल पर रखा जायेगा।

4. उस सीमा तक जहाँ तक जूट मिलें सरकारी ई-विपणन (जी ई एम) पोर्टल पर बोली के माध्यम से अनुमेय तीस दिन के भीतर आपूर्ति करने में असफल रहती हैं, वस्त्र मंत्रालय अनिवार्य पैकेजिंग मानक को भविष्य में कम कर सकता है।

5. जूट पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति में किसी कमी या बाधा की दशा में या किसी अन्य आकस्मिक या अत्यावश्यक दशा में, वस्त्र मंत्रालय सम्बंधित उपभोक्ता मंत्रालयों के परामर्श से, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट पैकेजिंग सामग्री के प्रतिशत को अधिकतम तीस प्रतिशत तक और कम करने की अनुमति दे सकेगा।

6. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तैयार आपूर्ति योजना के अनुसार खाद्यान्न पैक करने के लिए यदि क्रय एजेंसियों द्वारा जूट थैलों के लिए मांग पत्र नहीं दिए जाते और मांग (मांग पत्र) एकत्र हो जाती हैं, तब जूट मिलों को जूट थैलों की आपूर्ति के लिए यथोचित समय दिया जायेगा।

7. उच्च घनत्व वाले पॉली एथिलीन/पॉली प्रोपीलीन (एचडीपीई/पीपी) थैलों के न्यूनतम उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्य क्रय एजेंसियों (एफसीआई सहित) के परामर्श और समन्वय से जूट थैलों की आपूर्ति के पूर्व-सहमत अनुसूची के अनुसार वास्तविक मांग पत्रों को समय पर प्रस्तुत करेगा :

परंतु यदि मिलें बढ़ी हुई अवधि में थैलों की आपूर्ति करने में मिलें असफल रहती हैं तो कम करने से संबंधित शर्तें लागू होंगी।

8. उक्त अधिनियम के अधीन निम्नलिखित को आरक्षण की परिधि से बाहर रखा जा सकता है, अर्थात्:-

(क) विटामिन से पुष्ट चीनी;

(ख) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की पैकेजिंग ;

(ग) खाद्यान्नों के लिए दस कि.ग्रा. और उससे कम और चीनी के लिए पच्चीस कि.ग्रा. और उससे कम के छोटे उपभोक्ता पैकेज;

(घ) एक सौ कि.ग्रा. से अधिक थोक पैकेजिंग; और

(ङ.) निर्यात के लिए पैक की गई चीनी जिसे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किए गए निर्धारण और सिफारिशों के आधार पर निर्यात नहीं किया जा सका था।

9. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कच्चे जूट और जूट पैकिंग सामग्री के उत्पादन में लगे व्यक्ति अनिवार्य पैकेजिंग से लाभ प्राप्त करें, जूट श्रमिकों को वैधानिक तौर पर देय का भुगतान और जूट किसानों को तथा कच्चे जूट के क्रय पर गॉठ बनाने वालों को त्वरित भुगतान के लिए समर्थ बनाने के लिए मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) सहित प्रवृत्त श्रमिक विधियों के अनुसार उचित तंत्र बनाया जायेगा।

[फा. सं. जे-7/4/2021-जूट]

संजय शरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**ORDER**

New Delhi, the 27th December, 2021

S.O. 5421(E).—Whereas, the Central Government is empowered under sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) to specify, by order, the commodities or class of commodities or such percentage thereof to be packed for the purpose of its supply or distribution in such jute packaging material, after considering the recommendations of the Standing Advisory Committee;

And whereas, the Central Government has, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the said Act, constituted the Standing Advisory Committee vide number S.O. 473(E), dated the 27th January, 2019, to recommend the norms of packaging in jute material;

And whereas, the Central Government, after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, is satisfied that it is necessary in the interest of production of raw jute and jute packaging material, and of persons engaged in the production thereof, to specify the commodity or class of commodities and percentage thereof to be packed in jute packaging material;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with sub-section (1) of section 16 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packaging Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), and in supersession of order number S.O. 4250 (E), dated the 26th November, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that the commodities specified in column (2) of the Table below, shall be packed in jute packaging material for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, upto the 30th June, 2022 (Jute Year 2021-22), namely:-

TABLE

Serial Number	Commodities	Minimum percentage of total production of commodity or class of commodities required to be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute produced in India
(1)	(2)	(3)
(i)	Foodgrains	*Hundred per cent. (100%) of the production
(ii)	Sugar	**Twenty per cent. (20%) of the production

***Note 1:-** Initially ten per cent. of the indents for foodgrains would be placed through reverse auction on the Government e-Marketplace (GeM) portal.

****Note 2:-** In diversified jute bags under direct purchase by the procuring agencies from the mills or open market.

2. Procurement of jute bags for packing of foodgrains through the Government e-Marketplace (GeM) portal shall be initiated on trial basis.

3. To begin with, ten per cent of the indents shall be placed by the State Procurement Agencies through reverse auction on the Government e-Marketplace (GeM) portal.

4. To the extent jute mills fail to supply through the Government e-Marketplace (GeM) portal bidding within the permissible thirty days, the Ministry of Textiles will allow upfront dilution of mandatory packaging norm.

5. In case of any shortage or disruption in supply of jute packaging material or in case of any other contingency or exigency, the Ministry of Textiles may, in consultation with the user Ministries concerned, allow further dilution of packaging material up to a maximum of thirty per cent of the percentage specified in column (3) of the said Table.

6. In case the Procurement Agencies do not place indents for jute bags to pack foodgrains as per supply plan prepared by the Department of Food and Public Distribution and bunching of demand (indents) takes place, then the jute mills shall get reasonable additional time for the supply of jute bags.

7. With a view to ensure the minimum usage of High Density Poly Ethylene/ Poly Propylene (HDPE/PP) bags, the Department of Food and Public Distribution, in consultation and coordination with State Procurement Agencies (including FCI) shall place realistic indents on time as per pre-agreed schedule of supply of jute bags:

Provided that if the mills fail to supply the bags in the extended period, the conditions relating to dilution shall be applicable.

8. The following may be kept out of the purview of reservation under the said Act, namely :-

- (a) sugar fortified with vitamins;
- (b) packaging for export of commodities;
- (c) small consumer packs of ten kilograms and below for foodgrains and twenty-five kilograms and below for sugar;
- (d) bulk packaging of more than one hundred kilograms; and
- (e) sugar packed for export but which could not be exported on the basis of an assessment and recommendation by the Department of Food and Public Distribution.

9. To ensure that persons engaged in production of raw jute and jute packaging material are benefitted from the mandatory packaging, a suitable mechanism shall be devised for enabling payment of statutory dues to jute workers and prompt payment to jute farmers and balers on procurement of raw jute as per the Labour Laws in force including the Code on Wages, 2019 (29 of 2019).

[F. No. J-7/4/2021-Jute]

SANJAY SHARAN, Jt. Secy.